भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4399

20 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

'विज्ञान धारा' योजना के तहत समर्थित स्टार्ट-अप और अनुसंधान संस्थान

†4399. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनीः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के वर्षों में 'विज्ञान धारा' योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों में 'विज्ञान धारा' योजना के अंतर्गत समर्थित स्टार्ट-अप और अनुसंधान संस्थानों की संख्या कितनी है और उनके चयन के मानदंड क्या हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार निधि का आवंटन और उपयोग कितना है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ख): विज्ञान धारा योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की तीन व्यापक योजनाओं, अर्थात् (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानव क्षमता वर्धन, (2) अनुसंधान एवं विकास, तथा (3) नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास एवं परिनियोजन, के विलय के पश्चात् 16.01.2025 से लागू हुई। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में इसकी शुरुआत के बाद से वृद्धि हुई है और उनका राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग) विज्ञान धारा के अंतर्गत, देश भर में 36 टेक्नोलॉजी बिज़नेस इन्क्यूबेटरों (टीबीआई) को निधि-सीड द्वारा सहायित किया गया है। इन टीबीआई ने 72 स्टार्टअप्स को सीड फ़ंड

प्रदान किया। इन स्टार्टअप्स का चयन संबंधित टीबीआई की सीड सपोर्ट मैनेजमेंट कमेटी (एसएसएमसी) द्वारा निम्नलिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर किया गया:

- समस्या विवरण और प्रस्तावित समाधान
- बाज़ार अवसर
- व्यवहार्यता और नवीनता
- संभावित प्रभाव
- प्रतिस्पर्धा

(घ) विज्ञान धारा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसे अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। विज्ञान धारा के अंतर्गत इसकी स्थापना से अब तक आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि इस प्रकार है:

वर्ष	आवंटन (करोड़ रुपये में)	12.08.2025 तक उपयोग की राशि (करोड़ रुपये में)
2024-25	330.75	271.98
2025-26	1425	984.33
कुल	1755.75	1256.31

अनुलग्नक-I

विज्ञान धारा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

क्रम संख्या	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3816
2.	अरुणाचल प्रदेश	30
3.	असम	491
4.	बिहार	2517
5.	छत्तीसगढ	3812
6.	गोवा	112
7.	गुजरात	1561
8.	हरियाणा	1138
9.	हिमाचल प्रदेश	753
10.	झारखंड	1968
11.	कर्नाटक	6676
12.	केरल	1278
13.	मध्य प्रदेश	3963
14.	महाराष्ट्र	3303
15.	मणिपुर	262
16.	मेघालय	90
17.	मिजोरम	28
18.	नागालैंड	18
19.	उड़ीसा	3749
20.	पंजाब	687
21.	राजस्थान	12424
22.	सिक्किम	36
23.	तमिलनाडु	1707
24.	तेलंगाना	3679
25.	त्रिपुरा	81
26.	उत्तराखंड	2661
27.	उत्तर प्रदेश	13195

क्रम संख्या	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	लाभार्थियों की संख्या
28.	पश्चिम बंगाल	1570
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	24
30.	चंडीगढ़	283
31.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	20
32.	जम्मू और कश्मीर	1183
33.	दिल्ली	1155
34.	लद्दाख	21
35.	लक्षद्वीप	5
36.	पुदुचेरी	83
